राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6087/2024

इकोसेफ इंफ्राप्रोजेक्ट्स एलएलपी अपने नामित भागीदार श्री समन्वय पाराशर पुत्र श्री आलोक पाराशर, उम्र लगभग 30 वर्ष, के माध्यम से, जिसका पंजीकृत कार्यालय केबिन संख्या 2, हॉल - 1, प्रथम तल, आई.सी. ब्लॉक, शहीद चंद्र शेखर किफायती आवासीय योजना, औद्योगिक एस्टेट, कोटा - 324003, राजस्थान में है।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, राजस्थान सरकार खनिज भवन, शास्त्री सर्किल, उदयपुर में।

----प्रतिवादी

साथ में

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6086/2024

इकोसेफ इंफ्राप्रोजेक्ट्स एलएलपी अपने नामित भागीदार श्री समन्वय पाराशर पुत्र श्री आलोक पाराशर, उम्र लगभग 30 वर्ष, के माध्यम से, जिसका पंजीकृत कार्यालय केबिन संख्या 2, हॉल - 1, प्रथम तल, आई.सी. ब्लॉक, शहीद चंद्र शेखर किफायती आवासीय योजना, औद्योगिक एस्टेट, कोटा - 324003, राजस्थान में है।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, राजस्थान सरकार खनिज भवन, शास्त्री सर्किल, उदयपुर में।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री आर.के. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता,
श्री अधिराज मोदी द्वारा सहायता प्राप्त।
श्री प्रताप ठाकुर।
श्री अभिषेक चौधरी।
सुश्री अद्वैत शर्मा।

प्रतिवादी के लिए: श्री महावीर बिश्नोई, एएजी,

श्री गौरव बिश्नोई द्वारा सहायता प्रदान की गई।

श्री मुदित नागपाल के साथ श्री संजीत पुरोहित।

श्री हिमांशु चौधरी

श्री दीपक बिश्नोई

श्री अरविंद व्यास

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति नूपुर भाटी

आदेश

रिपोर्ट योग्य

आरक्षित तिथि: 03/05/2024

उच्चारण तिथि: 07/05/2024

1. हालांकि ये मामले नई श्रेणी में सूचीबद्ध हैं, तथापि, पक्षों के वकील के संयुक्त अनुरोध पर इन मामलों की आज ही सुनवाई हो रही है।

2. ये दो रिट याचिकाएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः 08.03.2024 और 06.03.2024 (अनुलग्नक 2) के आरोपित ई-नीलामी नोटिस को रद्द करने और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी करने और मांगे गए स्पष्टीकरण के जारी होने के बाद नए सिरे से नीलामी आयोजित करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई हैं। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी होने के बाद ही नए सिरे से नीलामी आयोजित करने और नियमों और शर्तों में स्पष्टता के आधार पर अधिकतम प्रतिभागियों को प्रतिस्पर्धी भागीदारी की अनुमति देने का

निर्देश देने की भी मांग की है।

3. उदाहरण के लिए तथ्य एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 6087/2024 से लिए गए हैं। रिट याचिका में, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता मेसर्स इकोसेफ इंफ्राप्रोजेक्ट्स एक सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) है जो सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत विधिवत पंजीकृत है, जिसने प्रतिवादियों द्वारा लघु खनिज बजरी (नदी रेत) के 14 भूखंडों के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया था, जिसमें 7 भूखंड जिला भीलवाड़ा से संबंधित थे और 7 भूखंड जिला सिरोही से संबंधित थे, जैसा कि संकल्प दिनांक 27.03.2024 (अनुलग्नक 1) से स्पष्ट है। ई-नीलामी नोटिस दिनांक 06.03.2024 (अनुलग्नक 2) के अनुसार एमएल बजरी II/2024/ई-05502 और एमएल बजरी III/2024/ई-05654 के लिए ई-नीलामी दिनांक 27.03.2024 और 28.03.2024 को निर्धारित की गई थी, जिससे याचिकाकर्ता इस हद तक व्यथित है कि इसमें अस्पष्ट और विरोधाभासी नियम और शर्तें हैं, जो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 (जिसे आगे 'नियम 2017' कहा जाएगा) के विरुद्ध हैं और इस प्रकार पूरी निविदा प्रक्रिया को दूषित करती हैं। 4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी संख्या 10587/2019 में दिनांक 19.02.2020 (अनुलग्नक 3) का आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ('सीईसी') को राजस्थान राज्य में रेत खनन से संबंधित मुद्दे से निपटने और रेत खनन से संबंधित समस्याओं के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद सीईसी ने उक्त आदेश के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.12.2020 (अनुलग्नक 4) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अलावा एसएलपी संख्या 10587/2019 में पारित दिनांक 11.11.2021 (अनुलग्नक 5) के निर्णय के अनुसार, सीईसी की

सिफारिशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया। 5. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को दिनांक 11.03.2024 को मेल के माध्यम से दिनांक 12.03.2024 (अनुलग्नक 6) के माध्यम से एक पत्र भेजा, जिसमें दिनांक 06.03.2024 के ई-नीलामी नोटिस के विरोधाभासी और अस्पष्ट नियमों और शर्तों पर स्पष्टीकरण मांगा गया। प्रतिवादियों को दिनांक 20.03.2024 (अनुलग्नक 7) के माध्यम से एक अनुस्मारक पत्र भेजा गया, जिसमें प्रतिवादियों से दिनांक 06.03.2024 के ई-नीलामी नोटिस के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने का अनुरोध किया गया। 6. इस बीच याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों द्वारा जारी किए जाने वाले स्पष्टीकरण की प्रत्याशा में बैच संख्या 0122032410650 के तहत आरटीजीएस के माध्यम से 22.03.2024 को आवेदन शुल्क के रूप में 11,800/- रुपये और बोली सुरक्षा के रूप में 41,00,000/- रुपये की राशि भेजी, हालांकि, प्रतिवादियों द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने 27.03.2024 (अनुलग्नक 9) दिनांकित एक कानूनी नोटिस भेजा जिसमें कहा गया कि खनन पट्टा पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाना चाहिए, हालांकि, प्रतिवादियों द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और याचिकाकर्ता ने 06.03.2024 के आपत्तिजनक ई-नीलामी नोटिस से व्यथित होकर यह रिट याचिका दायर की। 7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि लीज डीड के पंजीकरण की तारीख एनआईटी की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जाएगी कि खनन पट्टे की अवधि पट्टे के पंजीकरण की तारीख से पांच वर्ष होगी और यह इस कारण से अस्पष्ट है कि 2017 के नियमों के नियम 16 (3) के अनुसार, खनन पट्टा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस शर्त के साथ दिया जाएगा कि पट्टेदार पर्यावरण मंजूरी ('ईसी') प्राप्त करने के बाद खनन कार्य शुरू करेगा। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि हालांकि खनन पट्टा पट्टेदार के पक्ष में दिया जाएगा, हालांकि, जब तक संबंधित प्राधिकारी

से ईसी प्राप्त नहीं किया जा सकता है तब तक कोई भी खनन गतिविधि नहीं की जा सकती है। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि ईसी प्राप्त करने में लगभग एक-दो साल लगते हैं और इस प्रकार एनआईटी में उक्त शर्त कि पंजीकरण की तारीख से पांच साल की वैधता अवधि उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति हो सकती है कि पट्टेदार के पक्ष में पाँच साल की अवधि के लिए पर्यावरण मंजूरी नहीं दी जा सकती और ऐसी स्थिति में, खनन पट्टे का संचालन किए बिना ही पट्टे की अवधि समाप्त हो जाएगी और पट्टेदार को अपूरणीय क्षति होगी। उन्होंने यह भी कहा कि दीपक कुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य: (2012) 4 एससीसी 629 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में, प्रतिवादी राज्य द्वारा लघु खनिज के लिए पट्टा तभी दिया जाएगा जब संबंधित व्यक्ति द्वारा पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर ली गई हो। उन्होंने आगे कहा कि जब तक प्रतिवादी राज्य पांच वर्ष की पट्टा अवधि के प्रारंभ होने के बारे में स्पष्टीकरण नहीं देता, तब तक याचिकाकर्ता, एक इच्छुक बोलीदाता होने के नाते, उक्त नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि एनआईटी में निर्धारित शर्तों के अनुसार, प्रतिवादी राज्य द्वारा खनिज बजरी का अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित किया गया है, जो रॉयल्टी के पांच गुना से अधिक नहीं होगा तथा उक्त विक्रय मूल्य में सभी कर, रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी-रॉयल्टी का 10%), राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (आरएसएमईटी-रॉयल्टी का 2%), उत्खनन व्यय, श्रम एवं लोडिंग आदि सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि उक्त शर्त में उल्लेख है कि बजरी की बिक्री पर अधिकतम विक्रय मूल्य नदी के मुहाने पर लागू होगा, जिससे याचिकाकर्ता यह मान लेता है कि बजरी को प्रतिवादियों द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य पर मुहाने पर बेचा जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि एनआईटी में

निर्धारित शर्त 2017 के नियम 13 (6) के प्रावधान द्वारा समर्थित है, जिसमें कहा गया है कि खनिज बजरी के मामले में, राज्य सरकार पट्टे के गड्ढे के मुहाने पर अधिकतम बिक्री मूल्य निर्दिष्ट कर सकती है और सफल बोलीदाता ऐसी निर्दिष्ट कीमत पर बजरी की डिलीवरी या बिक्री करेगा।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि एनआईटी की शर्त संख्या (2) के अनुसार, पट्टा धारक को नदी के दो किलोमीटर के दायरे में दो स्टॉकयार्ड की पहचान और स्थापना करनी होगी, जहां बजरी का भंडारण किया जाना है और तौल पुल पर वजन करके बेचा जाना है। उन्होंने आगे कहा कि एनआईटी में निर्धारित शर्त संख्या एन (20) के अनुसार, पट्टाधारक उक्त शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य है, जिसमें निर्धारित किया गया है कि पट्टाधारक को केंद्रीय अधिकार समिति (सीईसी) द्वारा दिनांक 23.12.2020 को प्रस्तुत रिपोर्ट के पैराग्राफ 11 (III) और एमओईएफसीसी द्वारा जारी 2016 और 2020 के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, जो विशेष रूप से पट्टाधारक को गड्ढे के मुहाने से बजरी की बिक्री करने से प्रतिबंधित करता है। उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि एक ओर बोलीदाता को गड्ढे के मुहाने से बजरी बेचने की अनुमति नहीं है और दूसरी ओर, बजरी की अधिकतम बिक्री मूल्य गड्ढे के मुहाने पर बजरी की बिक्री पर लागू होता है। इस प्रकार, प्रतिवादियों ने एक अस्पष्टता पैदा की है, क्योंकि जब बोलीदाता नदी के गड्ढे के मुहाने से बजरी नहीं बेच सकता है, तो राज्य सरकार द्वारा नदी के गड्ढे के मुहाने से बजरी के लिए अधिकतम बिक्री मूल्य निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के समक्ष विरोधाभासी एवं अस्पष्ट शर्तों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए विभिन्न पत्र एवं ई-मेल प्रस्तुत किए हैं, तथापि प्रतिवादियों ने मामले को शांत बैठना चुना, जबकि वे उनके द्वारा उत्पन्न अस्पष्टता एवं विरोधाभासी स्थितियों का जवाब देने के लिए बाध्य थे। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता

ने न्यायालय का ध्यान प्रतिवादी राज्य द्वारा प्रस्तुत उत्तर की ओर भी आकर्षित किया तथा कहा कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पत्र का जवाब नहीं दिया, तथापि उत्तर में उन्होंने यह रुख अपनाया है कि खनन पट्टा केवल पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात ही प्रदान किया जाएगा तथा खनन पट्टा धारक को ई-नीलामी के लिए रखे गए क्षेत्र में पूरे पांच वर्ष का कार्य करने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार उन्होंने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा एनआईटी में अस्पष्ट शर्तों को पूरा न करने के कारण याचिकाकर्ता को एनआईटी में भाग लेने से वंचित कर दिया गया।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि संविदा अधिनियम की धारा 29 के आलोक में, जिन करारों का अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किए जाने योग्य नहीं है, वे शून्य हैं और इस प्रकार वर्तमान मामले में, जब एनआईटी में शर्तें एक-दूसरे के प्रति अस्पष्टता और विरोधाभास रखती हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में एनआईटी स्वयं ही रद्द और अपास्त किए जाने योग्य है, क्योंकि यदि कोई करार किया गया है तो वह स्वयं ही शून्य होगा और प्रतिवादियों को स्पष्ट और असंदिग्ध शर्तों के साथ नए सिरे से एनआईटी जारी करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 93 के अनुसार, जब किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट रूप से अस्पष्ट या दोषपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है जो उसका अर्थ दर्शा सकें या उसके दोष की पूर्ति कर सकें; और वर्तमान मामले में एनआईटी में प्रयुक्त भाषा अस्पष्ट और दोषपूर्ण है, और इसलिए एनआईटी को रद्द और अपास्त किए जाने की आवश्यकता है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दत्ता एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड बनाम इंडो मर्चेंटाइल्स (पी) लिमिटेड, (1997) 1 एससीसी 53; टाटा सेलुलर बनाम भारत संघ, (1994) 6 एससीसी 651; मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम प्रबंधन

अध्ययन संघ, (2009) 6 एससीसी 171; और रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2022) 0 सुप्रीम (एचपी) 419 के मामले में माननीय हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया।

12. इसके विपरीत, विद्वान एएजी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने 10,000/- रुपए की गैर-वापसी योग्य आवेदन फीस और बोली सुरक्षा राशि भी जमा कर दी है और इसलिए, याचिकाकर्ता ने एक बार एनआईटी में भाग लिया है, वह देरी से शर्तों को चुनौती नहीं दे सकता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि एनआईटी की शर्त संख्या 1 (2) के अनुसार, यह स्पष्ट है कि आवेदन शुल्क और बोली सुरक्षा जमा करने के बाद, बोलीदाता ई-नीलामी कार्यवाही में भागीदार बन जाता है और ऐसे मामले में, याचिकाकर्ता एनआईटी में निर्धारित शर्तों से बंधा हुआ है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि इस तथ्य के मद्देनजर कि याचिकाकर्ता ने खुली आंखों से नीलामी कार्यवाही में विधिवत भाग लिया है और एनआईटी में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार वर्तमान रिट याचिका अनुरक्षणीय नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है। विद्वान एएजी ने यह भी प्रस्तुत किया कि 2017 के नियमों के नियम 15 (9) के अनुसार, यह माना जाएगा कि बोली प्रस्तुत करके, बोलीदाता ने ई-नीलामी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मामले से संबंधित सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्रदान की गई जानकारी में अपर्याप्तता, त्रुटि या गलती के जोखिम को स्वीकार कर लिया है और इस प्रकार याचिकाकर्ता एनआईटी की शर्तों को चुनौती देने वाली वर्तमान रिट याचिका दायर करके कोई आपत्ति नहीं उठा सकता है। 2017 के नियमों के नियम 15 (9) में निम्नलिखित लिखा है:

> "15. ई-नीलामी मंच पर कोई बोली प्रस्तुत करने के लिए दिशा-निर्देश।-

xxx

(9) यह माना जाएगा कि बोली प्रस्तुत करके बोलीदाता ने,

(i) ई-नीलामी के लिए नियमों या दिशा-निर्देशों की पूरी और सावधानीपूर्वक जांच की है और बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से उनकी शर्तों को स्वीकार किया है;

(ii) सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी प्रासंगिक जानकारी की समीक्षा की है, जो बोली के लिए प्रासंगिक हो सकती है;

(iii) ई-नीलामी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मामले से संबंधित सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्रदान की गई जानकारी में अपर्याप्तता, त्रुटि या गलती के जोखिम को स्वीकार किया है;

(iv) नियमों के अनुसार सूचित बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों के बारे में खुद को संतुष्ट किया है; और (v) स्वीकार किया और सहमति व्यक्त की कि अपर्याप्तता, अपूर्णता या सूचना की गलतता या ई-नीलामी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मामले की अज्ञानता सरकार से मुआवजे, क्षति, अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए समय विस्तार, लाभ की हानि आदि के किसी भी दावे का आधार नहीं होगी।

13. विद्वान एएजी ने यह भी प्रस्तुत किया कि एनआईटी में निर्धारित शर्तें कि खनन पट्टे की अवधि खनन पट्टे के पंजीकरण की तिथि से शुरू होकर पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी, 2017 के नियम 9 (1) और 21 (6) के प्रावधानों के अनुसार है। विद्वान एएजी ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त की गई आशंका कि यदि खनन पट्टे के पंजीकरण के काफी बाद में ईसी प्राप्त किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को खनन गतिविधि के लिए पूरे

पांच साल की अवधि नहीं मिलेगी, पूरी तरह से गलत है क्योंकि नियमों के नियम 21 (4) के प्रावधान के प्रकाश में, याचिकाकर्ता या पट्टाधारक औपचारिकताओं को पूरा करने में विफल होने पर वास्तविक देरी के लिए समय विस्तार की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को विलम्ब से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होती है तो वह नियम 2017 के नियम 21(4) के प्रावधान के आलोक में समय विस्तार की मांग कर सकता है। विद्वान एएजी ने कहा कि एनआईटी/ई-नीलामी की शर्त संख्या एन (5) और शर्त संख्या एन (2) में कोई विरोधाभास या अस्पष्टता नहीं है, जिसमें नदी स्थल से 2 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्टॉकयार्ड स्थिति में बजरी की बिक्री मूल्य के बारे में उल्लेख किया गया है, जहां बजरी का भंडारण किया जाना है। उन्होंने कहा कि एनआईटी की शर्त संख्या (5) सीईसी की सिफारिशों के अनुरूप है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2021 के आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया है और इस प्रकार याचिकाकर्ता का यह तर्क कि शर्त सीईसी की सिफारिशों का उल्लंघन है, बेबुनियाद है। उन्होंने यह भी कहा कि शर्त संख्या एन (5) के अनुसार, खनन पट्टाधारक को ई-ट्रांजिट पास के माध्यम से वजन करके स्टॉकयार्ड से खनिज बजरी को भेजना आवश्यक है, जो ऑनलाइन मोड के माध्यम से उत्पन्न होता है और स्टॉकयार्ड में बजरी की अधिकतम बिक्री मूल्य 2017 के नियमों की दूसरी अनुसूची के अनुसार और समय-समय पर संशोधित बजरी की मात्रा और रॉयल्टी का गुणन होगा। इस प्रकार उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता स्वयं भ्रम पैदा कर रहा है, जबकि एनआईटी की शर्तें स्वयं स्पष्ट हैं क्योंकि शर्त संख्या एन (2) बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि पट्टाधारक नदी के 2 किलोमीटर के भीतर दो स्टॉक साइटों का चयन करेगा, जहां खाताधारक एक इनकमिंग आउटगोइंग रजिस्टर स्थापित करेगा। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी कोई शर्त नहीं है जो पट्टाधारक को नदी के गड्ढे के मुहाने से खनिज

बजरी का उत्खनन करने की अनुमति देती है क्योंकि यह सीईसी द्वारा प्रस्तुत और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिवत अनुमोदित रिपोर्ट का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक शर्त संख्या (5) का संबंध है, नदी के गड्ढे के मुहाने को केवल खनिज बजरी की अधिकतम कीमत निर्धारित करने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि उक्त शर्त विशेष रूप से पट्टाधारक को बजरी को निर्धारित दर से अधिक बिक्री मूल्य पर बेचने से रोकती है और ऐसी शर्त केवल बजरी को गड्ढे के मुहाने पर निर्धारित मूल्य से अधिक बिक्री मूल्य पर बेचने से रोक लगाने की सीमा तक है। उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि चूंकि एनआईटी में निर्धारित शर्तें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11.11.2021 के आदेश के अनुसार थीं और हैं, और स्वयं स्पष्ट हैं, इसलिए प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पत्रों का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विद्वान एएजी ने प्रस्तुत किया कि लगभग 132 बोलीदाताओं ने बिना किसी आपत्ति के एनआईटी में भाग लिया है, जो इस तथ्य को फिर से पुष्ट करता है कि एनआईटी में निर्धारित शर्तों में कोई अस्पष्टता या विरोधाभास नहीं है।

14. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान नीलामी कार्यवाही में अनेक संभावित बोलीदाताओं ने भाग लिया तथा राजस्थान लघु खनिज रियायत नियम (आरएमएमसीआर), 2017 के प्रावधानों के अनुसार सफल बोलीदाताओं की घोषणा की गई। इसके अलावा, प्रस्तावित प्रीमियम की 40% राशि की प्रथम किश्त जमा करने तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात विभाग ने सफल बोलीदाताओं के पक्ष में आशय पत्र पहले ही जारी कर दिया था।

15. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम मोंटेकार्लो लिमिटेड, (2022) 6 एससीसी 401; बजरी लीज लॉयल्टी होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी

बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य; यूफ्लेक्स लिमिटेड बनाम टी.एन. राज्य, (2022) 1 एससीसी 165; सैम बिल्ट वेल (पी) लिमिटेड बनाम दीपक बिल्डर्स, (2018) 2 एससीसी 176; मोंटेकार्लो लिमिटेड बनाम एनटीपीसी लिमिटेड, (2016) 15 एससीसी 272; एन.जी. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम विनोद कुमार जैन, (2022) 6 एससीसी 127 के मामले में पारित निर्णयों पर भरोसा किया।

16. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया है।

17. इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की यह आपत्ति कि एनआईटी में शर्त अस्पष्ट है, क्योंकि एक ओर यह कहा गया है कि खनन पट्टे की अवधि पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी और दूसरी ओर, 2017 के नियम 16 (3) के प्रावधान के अनुसार, खनन पट्टा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस शर्त पर प्रदान किया जाएगा कि पट्टेदार ई.सी. प्राप्त करने के बाद खनन कार्य शुरू करेगा और इस प्रकार याचिकाकर्ता को यह स्पष्टता नहीं है कि खनन पट्टे के प्रारंभ होने की वास्तविक तिथि क्या होगी, इस कारण से टिकने योग्य नहीं है कि 2017 के नियम 16 (3) में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि खनन पट्टा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान किया जाएगा कि पट्टेदार ई.सी. प्राप्त करने के बाद खनन कार्य शुरू करेगा और इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि खनन कार्य ई.सी. प्रदान किए जाने के बाद ही शुरू किया जा सकता है। 2017 के नियम 16 (3) के अनुसार, पट्टेदार को ईसी प्राप्त करने के बाद खनन कार्य शुरू करना होगा, और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को खनन पट्टे के शुरू होने की तारीख स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 2017 के नियम 16 (3) में निम्नलिखित लिखा है:

"16. खनन पट्टा प्रदान करना.-

xxx

(3) यदि आवेदक या सफल बोलीदाता, जैसा भी मामला हो, निर्धारित या विस्तारित अवधि के भीतर शर्तों का अनुपालन करता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षेत्र प्रदान किया जाएगा और आवेदक या सफल बोलीदाता, जैसा भी मामला हो, को पंजीकृत डाक और ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा।"

एनआईटी की प्रासंगिक शर्त v (1) इस प्रकार है:

"खनिज बजरी के खनन पट्टे की अवधि संविदा पंजीयन की दिनांक से 5 वर्श के लिये होगी।"

18. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता का यह निवेदन कि एनआईटी में निर्धारित शर्तें अर्थात (2) और (5) अस्पष्ट और विरोधाभासी प्रकृति की हैं, क्योंकि एक ओर प्रतिवादियों ने कहा है कि खनिज बजरी का अधिकतम विक्रय मूल्य प्रतिवादियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो कि बजरी की खदान के मुहाने पर बिक्री पर लागू होगा, जो दर्शाता है कि बजरी को प्रतिवादियों द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य पर खदान के मुहाने पर बेचा जाना है; तथा दूसरी ओर शर्त संख्या एन (2) के अनुसार पट्टाधारक को नदी के 2 किलोमीटर के दायरे में दो स्टॉक स्थल का चयन करना होगा, जिस पर वह नियमों के अनुसार बजरी का स्टॉक करेगा, जिससे पता चलता है कि बजरी की बिक्री नदी के गड्ढे के मुहाने पर की जानी है, जो टिकाऊ नहीं है, क्योंकि एनआईटी में उक्त शर्त एन (2) का उल्लेख 2017 के नियम 13 के परंतुक (6) के आलोक में किया गया है, जो राज्य सरकार को पट्टे के गड्ढे के मुहाने पर अधिकतम बिक्री मूल्य निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है और इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

“13. ई-नीलामी के लिए बोली मानदंड: (6) खनिज बजरी के मामले में, राज्य सरकार पट्टे के गड्ढे के मुहाने पर अधिकतम बिक्री मूल्य निर्दिष्ट कर सकती है और सफल बोलीदाता बजरी को ऐसी निर्दिष्ट कीमत पर वितरित या बेचेगा।”

एनआईटी की शर्त संख्या (2) इस प्रकार है:

लीज धारक नदी के 2 किलोमीटर परिधि में दो स्टॉक स्थल का चयन करेगा जिस पर खातेदार से पंजीकृत सहमति प्राप्त कर नियमानुसार बजरी स्टॉक करेगा। स्टॉक स्थल पर सीसीटीवी कैमरा, खनिज का आवक-जावक रजिस्टर व वे-ब्रिज स्थापित करेगा। स्टॉक स्थल पर एन्ट्री व एक्जिट पॉईन्ट अलग-अलग होंगे।

एनआईटी की शर्त संख्या (5) इस प्रकार है:

“5 लीजधारक खनिज बजरी का पिट माउथ पर बेचान की अधिधकतम कीमत राज्य सरकार द्वारा क्तल की जाने वाली रॉयल्टी की 4 ग ा होगी, जिजसमे रॉयल्टी, डी.एम.एफ.टी. बार एसएमईटी सजि मलिलत होगी जो त्तमय-त्तमय र रॉयल्टी की दरों म रिरवत हो े र समा ानितक रू से रिरवतशील रहेगी एवं तद् सार पि ट माउथ र बेचा की अधिधकतम कीमत का ः न ि धारण किकया जा सकेगा नि धारिरत अधिधकतम दर से अधिधक दर र खनि ज बजरी का पिवक्रय पि ट माउथ र हीं किकया जा सकेगा।"

19. अतः उपरोक्त के मद्देनजर एनआईटी की शर्त संख्या (5) के आधार पर याचिकाकर्ता की यह आशंका कि पट्टेदार बजरी का उत्खनन गड्ढे के मुहाने से कर सकता है, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि शर्त यह नहीं दर्शाती है कि पट्टाधारक को बजरी का उत्खनन गड्ढे के मुहाने से करने की अनुमति दी गई है, बल्कि राज्य सरकार को वर्ष 2017 के नियम 13 (6) के तहत नदी के गड्ढे के मुहाने पर विक्रय मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है, बल्कि पट्टेदार को बजरी का विक्रय गड्ढे के मुहाने पर निर्धारित अधिकतम दर से अधिक दर पर करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। चूंकि राज्य सरकार को पट्टे के गड्ढे के मुहाने पर अधिकतम विक्रय मूल्य निर्दिष्ट करने का अधिकार है और सफल बोलीदाता को बजरी को ऐसी निर्दिष्ट कीमत पर बेचना आवश्यक है, एनआईटी में बाद की शर्त अर्थात संख्या (5) केवल पट्टेदार को सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर से अधिक दर पर बजरी बेचने से रोकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नियम 16 (3) के अनुसार खनिज बजरी का अधिकतम विक्रय मूल्य पट्टे के गड्ढे के मुहाने पर निर्दिष्ट है, और इसलिए, एनआईटी की बाद की शर्त यानी एन (5) में पट्टेदार को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम बिक्री मूल्य से अधिक दर पर खनिज बजरी बेचने से मना किया गया है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि शर्त एन (2) और (5) अस्पष्ट और एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विद्वान एएजी के प्रस्तुतीकरण के अनुसार, 132 बोलीदाताओं ने बिना किसी आपत्ति के एनआईटी में भाग लिया है और सफल बोलीदाताओं को भी प्रतिवादियों द्वारा घोषित किया गया है, जो यह भी दर्शाता है कि एनआईटी में प्रतिवादियों द्वारा निर्धारित शर्तों में कोई अस्पष्टता/विरोधाभास नहीं है और वे स्व-व्याख्यात्मक हैं।

20. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, रिट याचिकाओं में कोई बल नहीं है, इसलिए उन्हें खारिज किया जाता है। स्थगन याचिकाएँ और विविध आवेदन(आवेदन), यदि कोई हों, भी खारिज किए जाते हैं।

(डॉ. नूपुर भाटी), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।